कृषि उपज मंडी समितियों को ऋण:-

अपनी उपज लेकर विक्रय हेतु मण्डी प्रांगणों में आने वाले किसानों को सुविधायें उपलब्ध कराना मण्डी समिति का प्राथमिक कर्तव्य है, मण्डी समितियां मण्डी निधि से विभिन्न विकास कार्य अपने हाथ में लेती रहती हैं । परन्तु आवश्यकता होने पर बोर्ड से ऋण लेकर प्रांगण का विकास कार्य करती हैं।

मण्डी प्रांगण में कृषकों एवं व्यापारियों के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं अन्य विकास कार्यों हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण नीति अनुसार मण्डियों/उपमण्डियों के प्रांगण विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

प्रथमबार स्थापित होने वाली मण्डी समिति प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थापना के लिये :-

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित 1997 की धारा 44 खण्ड (तीन) (क) के प्रावधान अनुसार प्रथमबार स्थापित किये गये मण्डी प्रांगण या प्रथमबार स्थापित की गई उपमण्डी हेतु बोर्ड द्वारा विहित की गई संरचना का संनिर्माण करना एवं उससे संबंधित स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिये रुपये 10.00 लाख (दस लाख) तक या अनुमानित व्यय जो भी कम हो, की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। यह अनुदान मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के प्रथमबार स्थापना से अधिकतम 6 माह की अवधि में ही स्वीकृत किया जावेगा। स्वीकृत किया जावेगा ।

ऋण लेने के लिये पात्रता का निर्धरण एंव अन्य शर्तें:-

अ. मण्डी समितियों द्वारा बोर्ड को शुल्क, ऋण किस्तों का नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा हो, तथा किसी प्रकार का बोर्ड शुल्क एवं ऋण किश्त एवं ब्याज बकाया न हो।

ब. सर्वप्रथम मण्डी समिति मण्डी निधि का उपयोग प्रांगण में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये करेगी तथा मण्डी निधि पर्याप्त न होने की दशा में ही मण्डी समिति को ऋण दिया जावेगा।

स. यह पाया जाने पर कि मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग जिस कार्य के लिये स्वीकृति दी गई है उस कार्य के लिये ना किया जाकर अपने स्थापना एवं अन्य खर्चो के भुगतान के लिये किया जाता है तो ऐसी मण्डी समितियों को आगे की किश्तों का भुगतान बंद कर दिया जावेगा तथा पूर्व में जो ऋण दिया गया है उसकी वसूली 20 प्रतिशत दण्ड ब्याज के साथ की जावेगी।

द. मण्डियों को सेण्ड्रीशाप एवं शाप कम गोदाम के लिये ऋण स्वीकृत नही किया जावेगा इसके लिये पृथक से योजना जारी की गई है।

इ. प्रथमतः मण्डी प्रांगण में मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु ऋण दिया जावेगा मूलभूत सुविधायें पूर्णरूप से उपलब्ध हो जाने के बाद ही अन्य सुविधायें हेतु ऋण दिया जावेगा।

मूलभूत सुविधाओं के लिये ऋण:-

मंडी समितियों को मंडी प्रांगण में निम्न मूलभूत सुविधाओं के लिये 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जावेगा :-

1. बाउण्ड्रीवाल
2. सीमेंट कांक्रीट आंतरिक सड़क
3. कव्हर्ड शेड/ट्राली शेड
4. विद्युत व्यवस्था
5. पेयजल व्यवस्था
6. कार्यलय भवन
7. शौचालय
8. प्रांगण में खुली नाली निर्माण

मंडी समितियों को मूलभूत सुविधओं के लिये श्रेणीवार दिये जाने वाले न्यूनतम4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशी की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्रमांक	मंडी की श्रेणी	अधिकतम राशि (लाख रू)
1	"क"	250
2	"ख"	150
3	"ग"	100
4	"घ"	60
5	उपमंडी क्रियाशील	40

पूर्व में मंडियो को दिया गया ऋण अधिकतम सीमा से उसकी राशि को कम करने के पश्चात ही शेष राशि की सीमा तक संबंधित मंडी समिति को ऋण दिया जा सकेगा ।

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण हेतु भूमि अधिगृहण/क्रय करनेशासकीय भूमि की प्रब्याजी एवं भू-भाटक आदि भुगतान करने हेतु मण्डी समितियों में आवश्यकता अनुसार4 प्रतिशत ब्याज दर पर अलग से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।